

डिकी ब मुकदमें इबतदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास श्री नैमा राम R.A.S.

श्रीराम बनाम डा. राम वीर

दावा बाबत 53,188 आर टी एक्ट राजस्व मूल वाद संख्या 74/2021
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु व वकूलाय हाजरी वकील जे. डाराम पी. डी. एन
मनजानिव मुदई वकील उपयुक्ति कथवा मजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बांकलिया
के खमरा नम्बर 342, 343 में वादी व प्रतिवादिता
का एक हिस्सा तहसीलदार पीपाड़ शहर से उत्तर बंटवाया
प्रस्ताव मय नजरी नम्बरा मीजा रिपोर्ट (विभाजन उत्तर)
दिनांक 8/5/2025 के अनुसार रहेगा। तहसीलदार पीपाड़ शहर
से उत्तर बंटवाया प्रस्ताव मय नजरी नम्बरा उम्त निर्णय
रूपे डिकी के भाग रहेगे। तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व
में आवश्यक कार्रवाई करे।

लीज शून्य मुवलिक शून्य बाबत शून्य खर्चा इस मुकदमें
के मय सूद व शरद शून्य फीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख वसूलयाबी तक शून्य को अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8/10/2025 को जारी की गई।



सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
अज अदालत शहर (पीपाड़)

मुदई	रुपया	पै.	मुदायला	रुपया	पै.
स्टाम्प अरजोदाबा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक		
मीजान.....			मीजान.....		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या
नही दर्ज करना चाहियें।